कुलाबा समिति के निर्वाचन में भाग लेने की प्रक्रिया

1. मतदाता सूची का महत्व

जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन में वही भू–धारक भाग ले सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो। वर्तमान में प्रचलित ग्राम पंचायत अथवा अन्य निर्वाचन हेतु उपलब्ध मतदाता सूची जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन में उपयोग नहीं की जा सकती है, क्योंकि जल उपभोक्ता समिति की मतदाता सूची में मात्र नहर कमाण्ड एरिया के भू–धारक होते हैं जब कि अन्य मतदाता सूचियों में भारत के नागरिक का नाम अंकित होता है। इसलिए जल उपभोक्ता समिति के निर्वाचन हेतु एक अलग मतदाता सूची बनायी जाती है।

2. मतदाता सूची में किनका नाम अंकित किया जाएगा–

मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम अंकित किया जाएगा जो मतदाता सूची तैयार करने के वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष से अधिक आयु का हो तथा कुलाबा कमाण्ड में भू–धारक हो।

3. कुलाबा मतदाता सूची में नाम अंकित करना–

जल उपभोक्ता समिति की मतदाता सूची को तैयार करने का दायित्व सिंचाई विभाग का है। इस हेतु सींचपाल एवं अमीन आदि को मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व सौंपा जायेगा। इस हेतु सर्व प्रथम कुलाबा समिति की मतदाता सूची तैयार की जायेगी। अभिलेख के आधार पर कुलाबा कमाण्ड के भू–धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी। सूची में अंकित भू–धारक से मतदाता प्रपत्र भरवा कर उनका नाम मतदाता सूची में अंकित किया जायेगा। यदि किसी भू–धारक का नाम भू–धारक सूची में नहीं है तो वह भू–धारक अपने अभिलेख के आधार पर अपना नाम मतदाता सूची में अंकित करा सकता है। इस प्रकार तैयार की गयी मतदाता सूची का प्रकाशन सिंचाई विभाग द्वारा आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु किया जायेगा। प्रकाशित मतदाता सूची में 3 प्रकार की आपत्तियॉ (नाम छूट जाने पर अपना नाम अंकित करवाने हेतु, अंकित नाम के विवरण में त्रुटियों को ठीक कराने हेतु तथा अंकित गलत नाम को हटाने हेतु) की जा सकती हैं। आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा,

4. जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन कौन करायेगा?

जल उपभोक्ता समिति का निर्वाचन सिंचाई विभाग द्वारा कराया जायेगा। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता चुनाव अधिकारी के रूप में निर्वाचन का कार्य करायेंगे। चुनाव अधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने हेतु खण्डीय चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी के रूप में अधिकृत करेंगे।

5. निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी?

मतदाता सूची के प्रकाशन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों पर निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा। इस हेतु चुनाव अधिकारी एवं खण्डीय चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य की अधिसूचना की जायेगी। अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् नामांकन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। सभी नामांकनों की जांच (स्क्रूटनी) एवं नाम वापसी के पश्चात्

निर्धारित तिथि पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर मतदान का कार्य कराया जायेगा। तत्पश्चात् मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा की जायेगी।

6. नामांकन हेतु कौन–कौन से अभिलेख आवश्यक होंगे?

नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से दिये जायेंगे–

- मतदाता सूची का वह भाग जिसमें उसका नाम अंकित है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / गरीबी रेखा के नीचे होने का प्रमाण–पत्र / अभिलेख।
- विगत 3 वर्षों से जल शुल्क एवं भू–राजस्व की अदेयता का फार्म–51 पर प्रमाण–पत्र।
- फार्म–52 पर शपथ–पत्र।
- कुलाबा समिति के नामांकन हेतु एक ही भाग(उप कमाण्ड) से नामांकन करने का फार्म–53 पर प्रमाण–पत्र।
- अल्पिका अथवा रजबहा समिति के नामांकन हेतु एक ही रीच से नामांकन करने का फार्म– 53 पर प्रमाण–पत्र।
- अल्पिका अथवा रजबहा समिति के नामांकन हेतु भू–धारक होने का प्रमाण–पत्र / अभिलेख।

7. जमानत धनराशि–

क्रम सं0	समिति का नाम	सामान्य प्रत्याशी हेतु जमानत धनराशि (रू0 में)	आरक्षित श्रेणी (अनु0जा0 / अनु0जनजा0 / गरीबीरेखा) हेतु जमानत धनराशि (रू0 में)
1	कुलाबा समिति	200	50
2	अल्पिका समिति	1000	250
3	रजबहा समिति	2000	500

8. जमानत धनराशि की वापसी –

- नाम वापस लेने की स्थिति में जमानत धनराशि तत्काल वापस की जायेगी।
- निर्विरोध होने अथवा मतगणना के बाद चुनाव जीत जाने पर परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर जमानत धनराशि वापस की जायेगी।
- यदि कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तथा उसे वैध मतों के 33 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुयें हों, तो उसकी जमानत धनराशि परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी।